

एफ आर बी एम अधिनियम में अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार अपने राजकोषीय संचालनों में अधिक से अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करे तथा इस हेतु निर्धारित प्रपत्रों में प्रकटीकरण के लिए समुचित उपाय करेगी। यह अध्याय अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य प्रकटीकरण प्रपत्रों/विवरणियों में शामिल सूचना के साथ सरकारी लेखाओं में पारदर्शिता का विश्लेषण करता है।

5.1 सरकारी लेखों में पारदर्शिता

एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 6 में अन्य बातों के साथ - साथ केन्द्र सरकार से अपेक्षित है कि वह वार्षिक वित्तीय विवरणी और अनुदान मांगों को तैयार करने में पारदर्शिता लाए। इसके अतिरिक्त व्यय और प्राप्तियों की पहचान के सिद्धांतों को बजट दस्तावेज, संघ सरकार के वित्तीय लेखों (यू जी एफ ए) तथा विनियोग लेखों में सुसंगत होना आवश्यक है। उत्तरवर्ती पैराग्राफों में पारदर्शिता के मामलों से संबंधित टिप्पणियों पर चर्चा की गई है।

5.1.1 घाटा आंकड़ों में विविधता

सी ए जी अपने प्रतिवेदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण (ए एफ एस) व लेखापरीक्षित संघ सरकार के वित्तीय लेखों (यू जी एफ ए) से प्राप्त आर डी और एफ डी के आंकड़ों, और बजट सार में प्रदर्शित इन्ही (राजस्व और राजकोषीय घाटों) आंकड़ों में विविधता के विषय को कई बार उठा चुका है। हालांकि, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान आंकड़ों में अंतर जारी रहा जैसा कि तालिका 5.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1: 2017-18 एवं 2018-19 के लिए घाटे के आंकड़ों में अंतर

(₹ करोड़ में)

वास्तविक के अनुसार	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा (आर डी)	जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में आर डी	कुल गैर ऋण प्राप्ति	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा (एफ डी)	जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में एफ डी
	1	2	3=2-1		4	5	6=5-4	
2017-18								
बजट सार 2017-18	14,35,233	18,78,833	4,43,600	2.59	15,50,911	21,41,973	5,91,062	3.46
वार्षिक वित्तीय विवरण/ वित्तीय लेखा 2017-18	16,91,143	21,40,085	4,48,942	2.63	18,61,831	25,47,337	6,85,506	4.00
राजस्व घाटे में अंतर 2017-18	5,342			0.04	राजकोषीय घाटे में अंतर 2017-18		94,444	0.54
2018-19								
बजट सार 2018-19	15,52,916	20,07,399	4,54,483	2.39	16,65,695	23,15,113	6,49,418	3.42
वार्षिक वित्तीय विवरण/ वित्तीय लेखा 2018-19	18,06,463	22,61,571	4,55,108	2.39	19,31,699	27,15,761	7,84,062	4.12
राजस्व घाटे में अंतर 2018-19	625			0	राजकोषीय घाटे में अंतर 2018-19		1,34,644	0.7

स्रोत: बजट 2019-20 और 2020-21 (2017-18 एवं 2018-19 के लिए जी डी पी क्रमशः ₹1,70,98,304 करोड़ व ₹1,89,71,237 करोड़ थी)

वार्षिक वित्तीय विवरणी संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुपालन में संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का ब्यौरा है। जैसा कि वर्ष 2016-17 के लिए एफ आर बी एम अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर सी ए जी की 2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 20 में उल्लेखित है; बी ए जी में व्यय के प्रति कुछ प्राप्तियों को यह मानते हुए कि यह राजकोषीय गैर-नकद लेनदेन है, निवल करने के बाद घाटे को परिकल्पित किया गया था।

ए एफ एस से निवल किए गए लेनदेनों की व्याख्या करते हुए प्राप्ति एवं व्यय बजट में समाधान विवरणियों को संलग्न किया गया है। इन लेनदेनों में मुख्य रूप से रेलवे विभागीय प्राप्तियां, रक्षा, डाक, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम, कुछ ब्याज प्राप्तियां, अंतरण/एन सी सी डी/एन डी आर एफ में योगदान, बट्टे खाते डले ऋण/ब्याज छूट, सार्वजनिक ऋण व अर्थोपाय अग्रिम पुनर्भुगतान, राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता और कुछ प्रकार की प्रतिभूतियां शामिल हैं।

2017-18 के लिए प्राप्त और व्यय के समाधान विवरणियों की जांच से पता चला कि व्यय समाधान में, उर्वरक कंपनियों के बढ़े खाते डले ऋण /ब्याज छूट के कारण ₹20,532.50 करोड़ को राजस्व व्यय से निवल किया गया था। हालांकि प्राप्तियों के समाधान से संबंधित विवरण में केवल ₹15,855.12 करोड़ को राजस्व प्राप्तियों के प्रति निवल दिखाया जबकि ₹4,677.38 करोड़ के शेष को पूंजीगत प्राप्तियों के प्रति निवल दिखाया गया। इसके अलावा, अफ्रीका/एशिया विकास निधि/अंतराष्ट्रीय विकास संघ को जारी प्रतिभूतियों और दबावग्रस्त परिसंपत्तियां स्थिरता निधि को जारी प्रतिभूतियों के मोचन से कुल ₹663.18 करोड़ को व्यय संबंधित समाधान विवरणी में राजस्व व्यय के प्रति निवल किया गया जबकि प्राप्तियों से संबंधित समाधान विवरणी में इसे पूंजीगत प्राप्तियों से निवल किया गया था। उपरोक्त कारण से , बी ए जी में कुल ₹5,342 करोड़ से आर डी को कम करके दिखाया गया था।

2018-19 के लिए उपरोक्त विवरणियों की जांच से पता चलता है कि व्यय से संबंधित समाधान विवरणी में अफ्रीका/एशिया विकास निधि/अंतराष्ट्रीय विकास संघ (₹408.33 करोड़) को जारी प्रतिभूति, दबावग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरता निधि (₹110 करोड़) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन और अफ्रीका/एशिया विकास निधि को जारी प्रतिभूतियों (₹105.99 करोड़) को राजस्व व्यय के प्रति निवल किया गया जबकि प्राप्तियों से संबंधित समाधान विवरणी में इन्हें पूंजीगत प्राप्तियों के प्रति निवल किया गया, परिणामस्वरूप बी ए जी में आर डी को ₹625 करोड़ से कम करके दिखाया गया था।

लेखापरीक्षा ने ए एफ एस व यू जी एफ ए से प्राप्त दोनो वर्षों के एफ डी के आंकड़ों और बी ए जी में दर्शाये गये आंकड़ों के बीच अंतर पाया जोकि पूंजीगत प्राप्त और व्ययों जैसे एफ सी आई को अर्थोपाय, राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता प्राप्त, ए डी बी/ आई एम एफ को जारी प्रतिभूति, पुनर्पूजीकरण हेतु पी एस बी को विशेष प्रतिभूतियों के जारी करने आदि के निवल किए जाने के कारण था। परिणामस्वरूप बी ए जी और ए एफ एस के बीच एफ डी आंकड़ों में 2017-18 व 2018-19 के लिए क्रमशः ₹94,444 करोड़ और ₹1,34,644 करोड़ का अंतर था।

5.1.2 देयताओं की राशि में भिन्नता

केन्द्र सरकार की देयताओं को दर्शाने वाली एक विवरणी प्राप्त बजट में अनुबंध के रूप में संलग्न होती है। देयताओं का विवरण संघ सरकार के वित्तीय लेखे (यूजीएफए) के माध्यम से भी दर्शाया जाता है।

नीचे तालिका-5.2 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्त में प्राप्ति बजट और यूजीएफए में सरकार की देनदारियों की स्थिति में पाई गई भिन्नता दर्शायी गई है,

तालिका-5.2: 2017-18 व 2018-19 के लिये देयताओं की राशि में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

	देयता-जैसा दर्शाया गया		भिन्नता
	प्राप्ति बजट	यूजीएफए	
	2017-18		
लोक ऋण	66,51,365	66,51,365	0
राष्ट्रीय लघु बचत, भविष्य निधि, अन्य लेखे	13,31,054	13,94,422	63,368
आरक्षित निधि एवं जमा	2,52,758	2,52,758	0
कुल देयताएं	82,35,177	82,98,545	63,368
	2018-19		
लोक ऋण	73,44,902	73,44,902	0-
राष्ट्रीय लघु बचत, भविष्य निधि, अन्य लेखे	14,36,103	15,09,506	73,403
आरक्षित निधि एवं जमा	3,02,510	3,02,510	0
कुल देयताएं	90,83,515	91,56,918	73,403

स्रोत : प्राप्ति बजट 2019-20 और 2020-21 तथा 2017-18 व 2018-19 के लिये संघ सरकार के वित्त लेखों की विवरणी सं. 2

यू जी एफ ए 2017-18 के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत, भविष्य निधि लोक लेखें में अन्य लेखे के कारण सकल देनदारियां ₹13,94,422 करोड़ थी। हालांकि प्राप्ति बजट में राष्ट्रीय लघु बचत, भविष्य निधि, अन्य लेखा देनदारियां ₹13,31,054 करोड़ दर्शायी गई। इस प्रकार ₹63,368 करोड़ का अंतर प्राप्ति बजट अनुबंध में देनदारियों के आंकड़ों में रहा जोकि वर्ष के दौरान निजी निधि प्रबंधकों द्वारा डाक कार्यालय इंश्योरेन्स निधि में निवेशित राशि को, शामिल न करने के कारण हुआ। इसी प्रकार यू जी एफ ए 2018-19 में, राष्ट्रीय लघु बचत, भविष्य निधि, अन्य लेखों के कारण कुल देनदारियां ₹15,09,506 करोड़ थी। हालांकि प्राप्ति बजट में, राष्ट्रीय लघु बचत, भविष्य निधि, अन्य लेखा देयताएं ₹14,36,103 करोड़ दर्शायी गई है। इस प्रकार पुनः, प्राप्ति बजट में देयताओं में, निजी निधि प्रबंधकों द्वारा डाक कार्यालय बीमा निधि में निवेशित राशि, को शामिल न करने पर ₹73,403 करोड़ की भिन्नता रही। इस तरह निजी निधि प्रबंधकों द्वारा डाक कार्यालय बीमा निधि में निवेश की लेखों और बजट दस्तावेजों के बीच असंगतता थी।

मंत्रालय ने बताया (जून 2020 तथा दिसंबर 2020) कि यूजीएफए तथा प्राप्ति बजट के मध्य देयताओं में भिन्नता है क्योंकि जैसा कि दर्शाया गया है कि किसी रिपोर्टिंग वर्ष के लिये प्राप्ति बजट में देयता विवरणी संघ सरकार के वित्त लेखों के समाधान के बाद “निवल देयता” को दर्शाती है। “निवल देयता” क्रेडिट शेष व डेबिट शेष का निवल है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

इससे यह देनदारियों को कम करके बताता है क्योंकि निजी प्रबंधकों द्वारा व्यवस्थित धन भी सरकार की देयता है जिसका पर्याप्त रूप से प्रकटन होना चाहिए था।

5.1.3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन एस एस एफ) के संचालन में घाटा

राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन एस एस एफ) में लघु बचत योजनाओं के सभी संग्रहण शामिल होते हैं और यह लोक लेखा का भाग होती है। एन एस एस एफ, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) राष्ट्रीय लघु बचत निधि (कस्टडी व निवेश) नियमावली 2001 के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है। केन्द्र व राज्य सरकारों को प्रतिभूतियों और इन नियमावली में निर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के ऐसे अन्य साधनों में निधि का निवेश किया जाता है। एन एस एस एफ लेखों को तीन भागों में रखा जाता है, जिसमें एक भाग निधि में प्राप्तियों और भुगतानों/निवेशों को दर्ज करता है, दूसरा भाग एन एस एस एफ के निवेशों और तीसरे भाग में एनएसएसएफ की आय व व्यय दर्ज किए जाते हैं।

एनएसएसएफ के आय व व्यय लेखा में इस लेखे में घाटे/आधिक्य का संचित अथशेष, ब्याज व अन्य प्राप्तियां, ब्याज भुगतान पर व्यय तथा वर्ष के दौरान प्रबंधन लागत का रिकार्ड होता है। संचित घाटे/आधिक्य के साथ इस लेखे में वार्षिक आधिक्य/घाटा होता है। एन एस एस एफ में अंत शेष, आय व व्यय लेखे में शेष राशि को समायोजित करने के बाद निर्धारित होता है। नीचे दी गई तालिका 5.3 में 2014-15 से 2018-19 प्रत्येक वर्ष के लिए लेखे की स्थिति दर्शायी गई है। तालिका से यह स्पष्ट है कि 2016-17 को छोड़कर जब निधि में परिचालन आधिक्य दिखाया था। एनएसएसएफ निरंतर घाटा दर्ज कर रहा है और 2018-19 के अंत तक एन एस एस एफ में कुल संचित घाटा ₹1,13,651.82 करोड़ का है।

तालिका 5.3: एन एस एस एफ का आय व व्यय लेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथशेष (1 अप्रैल)	ब्याज व अन्य आय	व्यय			आधिक्य/ घाटा	अंत शेष (31मार्च)
			ब्याज भुगतान	प्रबंधन लागत	कुल व्यय		
2014-15	(-) 79,376.06	72,019.12	74,862.93	8,487.69	83,350.62	(-) 11,331.50	(-) 90,707.56
2015-16	(-) 90,707.56	76,994.96	80,482.27	10,022.02	90,504.29	(-) 13,509.33	(-) 1,04,216.89
2016-17	(-) 1,04,216.90	90,902.60	78,220.77	9,458.86	87,679.63	3,222.97	(-) 1,00,993.93
2017-18	(-) 1,00,993.92	95,399.97	91,221.82	10,822.10	1,02,043.89	(-) 6,643.92	(-) 1,07,637.84
2018-19	(-) 1,07,637.84	1,08,783.81	1,03,784.85	11,012.94	1,14,797.79	(-) 6,013.98	(-) 1,13,651.82

स्रोत: संघ सरकार के वित्तीय लेखें

यह संचित घाटा सरकार की देयता है और भविष्य में बजटीय समर्थन द्वारा सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। यह पहलू न तो यू जी एफ ए में पारदर्शी/पर्याप्त रूप से प्रकटन/विस्तृत

नहीं की गई सिवाय एक फुटनोट के माध्यम से और न ही सरकार की देयताओं से संबंधित बजट दस्तावेजों में। जैसा कि एन एस एस एफ लेखें, लोक लेखा के भाग हैं, यह घाटे/दायित्व भी राजकोषीय संकेतकों के निर्धारण में ध्यान नहीं रखे गए।

वित्त मंत्रालय ने कहा (जून 2020 तथा दिसंबर 2020) कि लघु बचत योजानाएँ, उत्पादकता उद्देश्यों के लिए लघु बचतों को दिशा देने के साधन के साथ सामाजिक कल्याण और सुरक्षा को भी बढ़ावा देती है। इस प्रकार इन योजनाओं में ब्याज दर अकसर बाजार दरों से उच्चतर होती है। इन्होंने हानि के कारणों और उसको कम करने के लिए अपनाए गए उपायों को भी बताया। यह उत्तर घाटे के प्रभावों के प्रकटन और पारदर्शी रूप से भविष्य में बजटीय समर्थन के माध्यम से इनकी भरपाई करने की जरूरत के कारण अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी पर प्रभाव के मुद्दे पर अप्रतिक्रियाशील है।

इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ कि राजस्व प्रकृति के व्यय की बजटेंतर निधीयन के लिए महत्वपूर्ण निधि का उपयोग किया जा रहा है जैसे एफ सी आई संचालनों और अन्य सरकारी योजनाओं जैसे पीएमएवाई-शहरी का समर्थन के लिए ऋण, जो सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से सेवित करने की आवश्यकता होगी, और क्योंकि राजस्व प्रकृति के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है, इनसे निधियों की लागत के अनुरूप वापसी प्राप्त नहीं हो सकते थे।

5.1.4 प्रत्यक्ष कर प्राप्ति आंकड़ों में पारदर्शिता की कमी

वार्षिक वित्तीय विवरण और संघ सरकार के वित्त लेखे में, कर राजस्व की अनुमानित और वास्तविक संग्रहण, प्रतिदायों की राशि (प्रतिदायों पर ब्याज भुगतानों को शामिल कर) को लेखे में लेने के बाद दर्शाया जाता है।

संघ सरकार के प्रत्यक्ष कर प्राप्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष, संग्रहीत-कर का पर्याप्त भाग वापस कर दिया जाता है, जैसा कि निम्न तालिका 5.4 में वर्णित है:

तालिका 5.4: प्रत्यक्ष कर संग्रहण व प्रतिदाय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण	प्रतिदाय#	प्रत्यक्ष कर संग्रहण*	प्रत्यक्ष कर संग्रहण में प्रतिदाय की प्रतिशतता
2013-14	7,34,254	95,658	6,38,596	13.03
2014-15	8,13,287	1,17,495	6,95,792	14.45
2015-16	8,71,494	1,29,482	7,42,012	14.86
2016-17	10,22,695	1,72,894	8,49,801	16.91
2017-18	11,71,440	1,68,702	10,02,738	14.40
2018-19	13,19,321	1,81,603	11,37,718	13.76

*स्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखों व सी ए जी के वर्ष 2019 की प्रतिवेदन संख्या 9 और 2020 की संख्या 11 (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिदाय में करों के प्रतिदाय पर ब्याज भी शामिल है।

2013-19 की छः वर्षों की अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष करों में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण का 13.03 प्रतिशत से 13.76 प्रतिशत के बीच प्रत्यक्ष कर का प्रतिदाय हुआ। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रतिदाय की राशि ₹1,68,702 करोड़ थी जिसमें प्रतिदाय पर ब्याज के व्यय के रूप में ₹17,063 करोड़ शामिल है। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2018-19 में, प्रतिदाय पर ब्याज के रूप में ₹20,566 करोड़ की राशि को सम्मिलित कर प्रतिदाय राशि ₹1,81,603 करोड़ थी। यद्यपि प्रतिदाय की राशि काफी अधिक थी, इसके संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरणी अथवा संघ सरकार के वित्त लेखों में कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस प्रकार कर राजस्व संग्रहण पर सूचना के संबंध में सरकार के लेखे पारदर्शी नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अनुसार, समेकित निधि से संसद द्वारा किसी विनियोग के अलावा कोई धनराशि आहरित करने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में, यह पाया गया है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) कर के प्रतिदाय पर ब्याज को व्यय के रूप में लेखांकित न कर, राजस्व में कमी के रूप में कर रहा है। इसलिये संविधान द्वारा अपेक्षित वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिये ब्याज पर व्यय हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था।

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार इंगित करने पर भी ब्याज प्राप्तियों पर व्यय करने कि यह प्रथा जारी है, जिसका नवीनतम उदाहरण 2018-19 के संघीय लेखों पर 2020 की प्रतिवेदन सं. 4 के पैरा 3.14 में टिप्पणियों में चर्चा कि गयी है। हालांकि कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

लोक लेखा समिति (पी ए सी) द्वारा इस मामले की जांच की गई। अपनी 66 वीं प्रतिवेदन (15 वीं लोकसभा 2012-13) में पी ए सी ने संसदीय अनुमोदन बिना आयकर प्रतिदाय पर ब्याज भुगतान के लिए समेकित निधि से धनराशि आहरण को अस्वीकार कर दिया था। तदपश्चात अपने अनुवर्ती प्रतिवेदन (15 वीं लोकसभा 2013-14 की 96वीं प्रतिवेदन दिनांक 31 जनवरी 2014) में माननीय महान्यायवादी (ए जी) के संशोधित मत दिनांक 6 मई 2013 कि अनुव्रत्ति में समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि संविधान में, सीएफआई से व्यय प्राधिकरण अथवा धन आहरण के तरीकों पर कोई संदेह नहीं है और इसलिये राजस्व विभाग के पास अनुच्छेद 114 व 115 (1)(क) के तहत संसद का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने या अनुच्छेद 115 (1)(ब) के तहत कार्योत्तर मांग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

इस मामले पर पी ए सी द्वारा अपनी राय स्पष्ट करने और सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बावजूद, बजट अनुमानों में वापसी पर ब्याज के

लिये बजट प्रावधान न करने तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में भुगतान के लिये संसदीय अनुमोदन न प्राप्त करने की प्रवृत्ति जारी रही। इन वर्षों के दौरान ₹17,063 करोड़ और ₹20,566 करोड़ की धनवापसी पर ब्याज के लिये व्यय किया गया था जिसे राजस्व कमी के रूप में दर्शाया गया था।

विभाग ने माननीय ए जी की 6 मई 2013 की राय पर आधारित लेखाओं पर टिप्पणियों से संबंधित अपने उत्तरों में (जनवरी 2017 और जनवरी 2019) कहा कि अतिरिक्त कर की वापसी और उस पर ब्याज, अनुच्छेद 112 के अर्थ के अनुसार व्यय नहीं है। विभाग ने यह भी कहा कि माननीय ए जी की राय पर आधारित, पी ए सी (15 वी लोकसभा) के 96 वीं प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था।

हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि पी ए सी ने पहले ही विद्वान (महान्यायवादी) ए जी की राय को अपनी सिफारिशें बनाते समय ध्यान में रखा था जिसमें विद्वान ए जी ने टिप्पणी की थी कि “एक मत अंततः एक मत है और यह समिति का दायित्व है कि वह सही प्रक्रिया निर्धारित करें”।

5.2 एफ आर बी एम अधिनियम द्वारा आज्ञापित प्रकटन विवरण में पारदर्शिता

एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन में बजट के साथ प्रकटन विवरणों (2017-18 के लिये छः और 2018-19 के लिये पांच) (विस्तृत ब्यौरा **अनुलग्नक 1.1** में) संसद के समक्ष रखे जाते हैं। इन विवरणों की जांच से प्रकटीकरण में अपर्याप्ता का पता चला, जैसा कि आगे की पैराओं में चर्चा की गई है।

5.2.1 गैर-कर राजस्व के बकाया के प्रकटन में असंगतता

प्रकटीकरण प्रपत्रों में से एक प्रकटन **विवरण-डी-2** एन टी आर के बकायों का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। प्राप्त बजट 2019-20 व 2020-21 (अनुबंध-6) वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 के अंत तक गैर-कर राजस्व के बकायों का विवरण दिया गया था।

सी ए जी प्रतिवेदनों ने बार बार, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार से प्राप्त ब्याज, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों और लोक लेखा उपक्रमों से प्राप्तियों की राशि को प्राप्त बजट (**फार्म डी-2**) और उसी वर्ष के यू जी एफ ए में प्रकट की गयी राशि के बीच भिन्नता को इंगित किया है। **फार्म डी-2** में 2017-18 व 2018-19 से संबंधित असंगतताएँ और भिन्नताओं का विवरण **तालिका 5.5** में दिया गया है।

तालिका 5.5: ब्याज बकाया के प्रकटन में असंगतता वर्ष 2017-18 एवं 2018-19

(₹ करोड़ में)

कर्जदार संस्थाए	निम्न के अनुसार ब्याज बकाया		भिन्नता
	फार्म डी-2	यू जी एफ ए	
	2017-18		
राज्यसंघ शासित सरकार/	6,553	2,816	3,737
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम	19,443	32,854	13,416
	2018-19		
राज्यसंघ शासित सरकार/	6,464	3,215	3,249
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम	19,332	35,129	15,797

स्रोत: प्राप्त बजट 2019-20 और 2020-21 एवं संघ सरकार के वित्त लेखे 2017-18 एवं 2018-19 के लिये

लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा एन टी आर के बकायों के संकलन में त्रुटियाँ भी देखी गईं और बकाया को ₹10,483.87 करोड़ से कम बताया गया। इस टिप्पणी पर मंत्रालय ने अपने उत्तर में (जून 2020) लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए आंकड़ों में न्यूनोक्ति की पुष्टि की।

5.2.2 परिसंपत्ति रजिस्टर में विवरणों के प्रकटन में अंतर

प्रकटन फार्म डी-4 सरकार के भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित है। रिपोर्टिंग वर्ष 2018-19 के अंत में संघ सरकार की परिसंपत्तियों का विवरण प्राप्त बजट 2020-21 में दिया गया है। सरकार द्वारा तैयार प्रकटन के अनुसार वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के अंत में परिसंपत्तियों का कुल संचय क्रमशः ₹15,10,277.64 करोड़ व ₹16,99,853.14 करोड़ था। लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा परिसंपत्ति संकलन में त्रुटियां भी इंगित की गईं। परिसंपत्तियों में ₹5,90,875 करोड़ से अतिरिंजित पाई गईं इसके अलावा परिसंपत्तिय रजिस्टर से संबंधित प्रकटीकरण में निम्नलिखित असंगतियां पाई गईं।

5.2.2.1 विदेशी सरकारों को दिए गए ऋणों के आंकड़ों में विसंगति

वर्ष 2017-18 के लिये प्रपत्र डी-4 की जांच से पता चला कि ₹14,077.04 करोड़ की राशि विदेशी सरकारों से बकाया ऋण के रूप में दर्शाई गयी जब कि यूजीएफए 2017-18 में ₹13,433.02 करोड़ की राशि की देनदारी बकाया थी। इस प्रकार विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋणों में ₹644.02 करोड़ की भिन्नता थी।

उसी प्रकार 2018-19 के लिये प्रपत्र डी-4 की जांच से पता चला कि ₹14,093.67 करोड़ की राशि विदेशी सरकारों से बकाया ऋण के रूप में दर्शाई गयी जब कि यूजीएफए 2018-19 में निहित सूचना से पता चला कि ₹13,558.87 करोड़ की राशि विदेशी सरकारों से ऋण के रूप

में बकाया थी। इस प्रकार विदेशी सरकारों से ₹534.80 करोड़ के बकाया ऋणों की भिन्नता थी।

5.2.2.2 परिसंपत्तियों के अंत एवं अथशेषों के आंकड़ों में भिन्नता

प्राप्ति बजट 2019-20 और 2020-21 के साथ संलग्न प्रपत्र डी -4 की जांच करने पर परिसंपत्तियों के अन्त एव अथशेषों में भिन्नताएं पायी गयी जिसका विवरण तालिका 5.6 में नीचे दिया गया है।

तालिका 5.6: संपत्ति के मूल्य में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

रिपोर्टिंग वर्ष 2017-18 के अंत में कुल संपत्ति (अंतिम आंकड़ा)	15,10,277.647.6
अगले रिपोर्टिंग वर्ष 2018-19 की शुरुआत में कुल संपत्ति (शुरुआती आंकड़ा)	15,07,161.28
समापन और प्रारंभिक आंकड़ों में भिन्नता	3,116.36
वर्ष 2018-19 के दौरान अर्जित संपत्ति	1,92,691.86
रिपोर्टिंग वर्ष 2018-19 के अंत में कुल संपत्ति (अंतिम आंकड़ा)	16,99,853.14

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के रसीद बजट

तालिका 5.6 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 के लिये अथशेष, 2017-18 के अंत तक परिसंपत्तियों के पिछले बकाया की तुलना में ₹3,116.36 करोड़ से कम था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया (जून 2020 तथा दिसंबर 2020) कि क) रेल मंत्रालय द्वारा "रेलवे सुरक्षा निधि" को शामिल करने, ख) एचईएफए में निवेश न करने और ग) विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त मिशनों द्वारा परिसंपत्तियों की रिपोर्टिंग जैसे कारकों के कारण अथशेष में संशोधन किया गया।

सरकार द्वारा प्रकट किए गए भिन्नता के कारणों में पर्याप्त पारदर्शिता का अभाव है क्योंकि ₹3,116 करोड़ की भिन्नता के मदवार मात्रात्मक समाधान के बजाय, केवल उदाहरणों का उल्लेख बिना परिमाणीकरण के किया गया था।

मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया कि विवरणियों के नीचे फुटनोट भी दिये गये हैं ताकि स्पष्टता व पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। तथापि, परिसंपत्ति रजिस्टर के विवरण के फुटनोट में अधिक व्यापकता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

5.3 लेखापरीक्षा सारांश

लेखापरीक्षा ने आरडी और एफडी के आंकड़ों में बजट सार में दर्शाये गये व संघ सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये दोनों वर्षों के आंकड़ों में भिन्नता देखी थी जो कि बीएजी में कुछ प्राप्तियों और व्यय के शुद्धिकरण के कारण थी। राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के अंतर्गत शेष स्पष्ट तौर पर निधि में पर्याप्त संचित घाटे और सरकार के राजस्व व्यय के

वित्तपोषण के लिए उधार दी गई महत्वपूर्ण राशि का खुलासा नहीं करते हैं जिसे बजटीय सहायता के माध्यम से पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रपत्र डी-2- गैर कर राजस्व का बकाया व डी 4- परिसम्पत्ति रजिस्टर में प्रकटीकरण में अपर्याप्तताएं थीं।

नई दिल्ली
दिनांक: 30 जून 2021



(मनीष कुमार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 05 जुलाई 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

